भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1224
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

†1224. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'महिलाओं की सुरक्षा' योजना के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में अभिकरणों, जांचकर्ताओं और अभियोजकों के क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए कोई प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रयोजन के लिए कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है; और
(ग) उन व्यक्तियों की श्रेणी क्या है, जिन्हें उक्त योजना के अंतर्गत वर्षवार प्रशिक्षित किया जा सकता है या किया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जांच, अपराध और अपराधियों के अभियोजन और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के पास हैं।

"महिला सुरक्षा" की व्यापक योजना के तहत, सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) और एलएनजेएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज (अब राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का दिल्ली परिसर) द्वारा 33,357 जांच अधिकारियों,

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1224, दिनांक 11.02.2025

अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक वर्ष लगभग 5000 जांच अधिकारियों/अभियोजकों को प्रशिक्षित किए जाना लक्षित है।

******